प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.02.2026

साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 50,000 रुपये की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 11.02.2026 को साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक मोहसीन अंसारी पुत्र अनीश अहमद निवासी डी 22 चौहान बांगर, थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 50,000 रूपये को आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक मोहसीन अंसारी पुत्र अनीश अहमद निवासी डी 22 चौहान बांगर थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ 50,000 रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 11.02.2026 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी साइबर सेल टीम

स्वॉट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 240 रेपर सीट कुल रेपर संख्या 3840, 5000 ढक्कन, 485 प्लास्टिक की डिब्बी, 07 पारदर्शी पालीथिन में टेबलेट लिव 52 कुल 35000 हजार टेबलेट, 01 मोनीटर, 01 सीपीयू व 01 वैन्यू कार बरामद।

दिनांक 03.01.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मुकेश कुमार प्रोपराइटर एन पी ट्रैडिंग निवासी आदर्श कॉलोनी मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा हिमालय वेलनेस ब्रांड की

नकली दवाईयाँ बनाकर जालसाजी पूर्ण दस्तावेजों एवं नकली प्रपत्र फर्जी जीएसटी नंबर, फर्जी औषधि लाइसेंस का उपयोग करते हुए नकली दवाओं का व्यापार करना व क्रेता द्वारा दवाई को नकली बताकर वापस करना तथा नकली दवाईयाँ परिवहन स्टेशन पर पड़ी हुयीं है जिन्हें बाजार में बेचा जा सकता है जिससे जन स्वास्थ एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 318(4)/336(3)/340(2)/274/276 बीएनएस व धारा 18(क),18ख व 27 औषधि एंव प्रसाधन सामग्री अधिनियम व धारा 65 कॉपी राइट एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 08.02.2025 को 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 11.02.2026 को स्वॉट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तों 1. फरमान पुत्र ननुआ निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष 2. जोनी सिंह पुत्र करम सिंह निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 3. अभियुक्त मुजम्मिल पुत्र मौहम्मद तस्लीम निवासी गली नं0 10 जाकिर कॉलोनी थाना लोहिया नगर जिला मेरठ उम्र करीब 39 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अवैध दवाईयां, 240 रेपर सीट कुल रेपर संख्या 3840, 5000 ढक्कन रंग हरा, 485 प्लास्टिक की डिब्बी रंग सफेद, 07 पारदर्शी पालीथिन में टेबलेट लिव 52 कुल 35000 हजार टेबलेट, 01 मोनीटर डेल कम्पनी का, 01 सीपीयू एचपी कम्पनी व 01 वैन्यू कार बरामद हुयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण में अन्य वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि हम इन डिब्बीयों और ढक्कनों को मेरठ में एकता प्लास्टिक उघोग के मालिक कमालुद्दीन पुत्र स्व0 मजरूल हक निवासी जमुना नगर थाना लोहिया नगर मेरठ के यहा बनवाते हैं व रेपर प्रिटिंग प्रेस खैरनगर चौपला के पास मुज्जमिल पुत्र तस्लीम निवासी गली न0 10 जाकिर कॉलोनी थाना लोहिया नगर मेरठ व डिब्बी और ढक्कन की डाई बनाने की मशीन डाई मेकर शकील पुत्र अब्दुल सकुर निवासी जमनानगर नवीन मण्डी के द्वारा तैयार की जाती हैं व लिव-52 टेबलेट सोनीपत में सुबको लेबोरेट्रीज से बनवाते हैं। इस सभी माल को एकत्रित करके हम सभी अपने साथी जोनी सिंह पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद व फरमान पुत्र ननुबा निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के साथ मिलकर तैयार करते थे। जोनी के नाम से मोबाइल की सिम ली हुयी थी जिस सिम से दवाईयों की सप्लाई के लिये मेडीकल फर्म से बात किया करते थे। एनपी ट्रेडिंग के नाम से फर्म थी। इस फर्म का मालिक मुकेश कुमार था। इस दवाई के बिल एनपी ट्रिडिंग कम्पनी के नाम से बनवाकर बाहर भेजे जाते थे। फरमान जीएसटी की फर्जी विलिंग तैयार कराता था और कम्पनियों को भेजे गये माल का पैसा एनपी ट्रेडिंग कम्पनी के खाते में आता था। जिसे हम बराबर बांट लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण नाम व पता –

1. फरमान पुत्र ननुआ निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।
2. जोनी सिंह पुत्र करम सिंह निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष ।

3.अभियुक्त मुजम्मिल पुत्र मौहम्मद तस्लीम निवासी गली नं0 10 जाकिर कॉलोनी थाना लोहिया नगर जिला मेरठ उम्र करीब 39 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

अवैध दवाईयां, 240 रेपर सीट कुल रेपर संख्या 3840, 5000 ढक्कन रंग हरा, 485 प्लास्टिक की डिब्बी रंग सफेद, 07 पारदर्शी पालीथिन में टेबलेट लिव 52 कुल 35000 हजार टेबलेट, 01 मोनीटर डेल कम्पनी का, 01 सीपीयू एचपी कम्पनी व 01 वैन्यू कार बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त फरमान के विरुद्ध हत्या का प्रयास का 01 अभियोग, बलवा व मारपीट के 04 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।
स्वॉट टीम ग्रामीण जोन
कमिश्नरेट गाजियाबाद

साइबर सेल थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 2,15,680 /- रूपये की धनराशि में से 40,987 रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 11.02.2026 को साइबर सेल थाना निवाड़ी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक निवासी थानाक्षेत्र निवाड़ी , गाजियाबाद के साथ साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 2,45,680 रुपये में से 40,987/- रूपये को आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना निवाड़ी गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक के साथ 2,45,680 रूपये की ऑनलाइन ठगी (आवेदक के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 2,45,680 /- रू. की धोखाधड़ी की गयी थी।) से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना निवाड़ी, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी में कुल **87,928 रुपये** की धनराशि को भिन्न भिन्न बैंको में होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 11.02.2026 को आवेदक के साथ हुए साइबर फ्रॉड में

कुल 40,987/- रु. की धनराशि को वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना निवाड़ी आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना निवाड़ी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **11.02.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 11.02.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	127
2.	ट्रांस हिण्डन	92
3.	ग्रामीण	125

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

थाना मधुबन बापूधाम एवं थाना सिहानी गेट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 07 चोरी की स्कूटी व 01 चोरी की स्कूटी की नम्बर प्लेट बरामद, 08 अभियुक्त गिरफ्तार तथा अवैध कटान करने वाले स्क्रैप सेंटर पर प्रभावी कार्यवाही।

दिनांक 23.01.2026, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वाहन चोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सिहानी गेट एवं थाना मधुबन बापूधाम पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से 07 चोरी की स्कूटी एवं 01 चोरी की नम्बर प्लेट बरामद की गई है।

कार्यवाही का विवरण

दिनांक 11.02.2026 को संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर 07 स्टार ऑटो स्क्रैपिंग इंडिया प्रा.लि., मोहिनुद्दीनपुर मैनापुर इंडस्ट्रियल एरिया, दुहाई, गाजियाबाद में छापेमारी की गई।

छापेमारी के दौरान मौके से 03 चोरी की स्कूटी एवं 01 चोरी की नम्बर प्लेट बरामद की गई। पूछताछ एवं निशानदेही के आधार पर 16 मंजिला बिल्डिंग के पास से 04 अन्य चोरी की स्कूटी बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

स्क्रैप सेंटर से गिरफ्तार (समय करीब 01:10 बजे दिनांक 11.02.2026)

1.नवाब मलिक पुत्र अजीज मलिक नि० 394/1 घाटी रोड, थाना आनन्द पर्वत, दिल्ली, मूल पता – ग्राम किशोरी, पोस्ट निवाड़ी, थाना जानी, जनपद मेरठ

2.रियाजुद्दीन पुत्र सफी मोहम्मद, नि० गली नं० 03, अमन कॉलोनी, थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजियाबाद

***अन्य अभियुक्त**

गिरफ्तारी स्थान –* 16 मंजिला बिल्डिंग एवं जीडीए बिल्डिंग के मध्य सड़क, समय करीब 02:00 बजे दिन)

3.नरेश कुमार पुत्र पंकज कुमार नि० शाहपुर बम्हैटा, थाना वेव सिटी, जनपद गाजियाबाद

4.सुनील पुत्र चरन सिंह नि० शाहपुर बम्हैटा, थाना वेव सिटी, जनपद गाजियाबाद

5.नदीम पुत्र कलुआ नि० शाहपुर बम्हैटा, थाना वेव सिटी, जनपद गाजियाबाद मूल पता – ग्राम चिट्टा, थाना सलेमपुर, जनपद बुलन्दशहर

6.कृष्णा पुत्र स्व० श्री भगवान सिंह नि० शाहपुर बम्हैटा, थाना वेव सिटी, जनपद गाजियाबाद मूल पता – ग्राम हरियौज, थाना खैपर, जनपद बलिया

7.सगीर पुत्र स्व० नूर मोहम्मद नि० रजापुर, थाना कविनगर, जनपद गाजियाबाद

8.फजलू उर्फ फजल मोहम्मद पुत्र मेहरबान नि० ग्राम नहाल, मौहल्ला मेढकान, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद

बरामद वाहन विवरण

स्क्रैप सेंटर से बरामद

1.Honda Activa (White) रजि० नं० UP14 BD3351 थाना: इन्दिरापुरम मु0अ0सं0 106/2026 धारा 303(2) बीएनएस

2.Honda Activa (White) रजि० नं० UP80 EE5542 थाना: मुरादनगर मु0अ0सं0 47/2026 धारा 303(2) बीएनएस

3.Honda Activa (White) रजि० नं० DL3S BX1533 थाना: कौशाम्बी मु0अ0सं0 43/2026 धारा 303(2) बीएनएस

4.नम्बर प्लेट UP14 BE9240 थाना: कविनगर मु0अ0सं0 979/2025 धारा 303(2) बीएनएस

अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद

1.Honda Activa (Black) रजि० नं० UP14 BX5586 थाना: सिहानी गेट, मु0अ0सं0 59/2026 धारा 303(2) बीएनएस

2.Honda Activa (Grey) रजि० नं० UP14 DL5413 (नवयुग मार्केट से चोरी) संबंधित थाना – जांचोपरांत पुष्टि की जा रही है
3.Honda Activa (Grey) रजि० नं० DL7S CD0113 थाना: सिहानी गेट मु0अ0सं0 60/2026 धारा 303(2) बीएनएस
4.Honda Activa (White) रजि० नं० DL14 SA8066 (मेरठ रोड से चोरी) संबंधित थाना – जांचोपरांत पुष्टि की जा रही है

अभियोग पंजीकरण

अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/238/61(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध की कार्यप्रणाली

नरेश व सुनील वाहन चोरी करते थे। अन्य सदस्य चोरी के वाहनों को छिपाकर रखते थे। तत्पश्चात वाहन 07 स्टार स्क्रैप सेंटर पर बेच दिए जाते थे। स्क्रैप सेंटर संचालक द्वारा चोरी के वाहनों का अवैध कटान कर दिया जाता था, जिससे पहचान मिटाई जा सके।

अन्य कार्यवाही

स्क्रैप सेंटर को सीज करने एवं उसके लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी को पत्राचार किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वाहन चोरी के विरुद्ध अभियान भविष्य में भी इसी प्रकार जारी रहेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा पर्स स्नैचिंग की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से छीना गया सामान बरामद।

दिनांक 31.01.2026 को वादिया द्वारा थाना मोदीनगर पर तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 30.01.26 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया का पर्स छीनकर भाग जाना जिसमें मेरे 1000/- रूपये, 01 मोबाइल फोन व कान के टोप्स थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 304 बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.02.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त स्नैचिंग की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1.आकाश कुमार पुत्र मिंटू सिंह निवसी ग्राम छज्जूपुर थाना परतापुर जिला मेरठ उम्र करीब 24 वर्ष 2.

शुभम शर्मा पुत्र प्रमोद शर्मा निवासी ग्राम छज्जूपुर थाना परतापुर जिला मेरठ उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से छीने गये पीली धातु के टोप्स व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि हमने दिनाकं 30.01.2026 को राज चौपला के पास एक महिला से पर्स छीना था। अभियुक्त आकाश ने बताया कि मैंने उस महिला से पर्स छीना और सडक पार कर अपने साथी शुभम शर्मा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर हम दोनों मेरठ की तरफ भाग गये थे। उक्त पर्स में हमे एक जोडी सोने के टोप्स, एक हजार रूपये व एक ओप्पो का फोन मिला था। फोन व पर्श को हमने पकडे जाने के डर से राजचौपला से मेरठ की तरफ जाने वाले रास्ते में पडने वाले गंदे नाले में फेंक दिया था और एक हजार रुपये हमने अपने शौक में खर्च कर दिये थे। एक-एक टोप्स को हम दोनों ने आपस में बाँट लिया था। हम लोगों ने इन टोप्स को बेचने का प्रयास किया पर इसका कोई खरीदार नही मिला तो हमने टॉप्स को दबा दिया जिससे इसे आसानी से बेच सकें।। उस दिन हम इसी मोटरसाइकिल से पर्स छीनकर भागे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.आकाश कुमार पुत्र मिंटू सिंह निवसी ग्राम छज्जूपुर थाना परतापुर जिला मेरठ उम्र करीब 24 वर्ष।

2. शुभम शर्मा पुत्र प्रमोद शर्मा निवासी ग्राम छज्जूपुर थाना परतापुर जिला मेरठ उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से छीने गये पीली धातु के टोप्स व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

सहायक पुलिस आयुक्त,इंदिरापुरम व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रैस्क्यू अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर सरोवर पोर्टिको होटल, थाना क्षेत्र कौशाम्बी से अनैतिक देह व्यापार में लिप्त 11 पीड़ित महिलाओं को रैस्कयू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 03 अभियुक्त (संचालक/मैंनेजर) गिरफ्तार, व अवैध मादक पदार्थ एवं आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 11.02.2026 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि सरोवर पोर्टिको होटल, महागुन मॉलसेक्टर 3 एफ वैशाली में भोली-भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सरोवर पोर्टिको होटल, महागुन मॉलसेक्टर 3 एफ वैशाली में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 11 पीड़ित महिलाओं को रेस्कयू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 03 अभियुक्तगण 1.राहुल शर्मा पुत्र अम्बिका प्रसाद नि0 फ्वैट नं0-303 मैट्रो स्वीट्स अपार्टमेंट से0- 4 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष 2.अंकित चौहान पुत्र नेपाल सिंह निवासी कासिमपुर पावर हाउस थाना जवा जिला अलीगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष 3.सुनील पुत्र भूरे सिंह निवासी ग्राम दभी थाना अकराबाद जिला अलीगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष को 01 पुडिया अवैध गांजा व 01 छोटी पुडिया अवैध चरस एवं आपत्तिजनक सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया व 04 अभियुक्त 1. सुमित रावत पुत्र महावीर सिंह रावत निवासी नियर दुर्गापुर शिवराजपुर नियर झण्डापुर कोटद्वार उत्तराखण्ड 2.राहुल 3.निर्दोष 4.अफजल भागने मे सफल रहे। उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3/4/5/6 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण व पीडिता महिलाओं से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण द्वारा अनैतिक कमाई करने के लालच से रैस्क्यू महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराकर ग्राहकों से पैसे लिये जाते है, अभियुक्तगण द्वारा महिलाओं को काम दिलाने व पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर प्रतिदिन अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा था। इस कार्य को करने में ग्राहकों से भारी धनराशि लेकर कुछ रुपये महिलाओं को भरण पोषण हेतु दिया जाता था। इसमें विदेशी महिलाओं के बारे में भी इसी कृत्य को कारित किये जाने की भी सूचना प्राप्त हुई है, जिसके सम्बंध में जाँच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. राहुल शर्मा पुत्र अम्बिका प्रसाद निवासी फ्वैट नं0- 303 मैट्रो स्वीट्स अपार्टमेंट से0- 4 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र 46 वर्ष (संचालक/मैंनेजर)।

2..अंकित चौहान पुत्र नेपाल सिंह निवासी कासिमपुर पावर हाउस थाना जवा जिला अलीगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

3.सुनील पुत्र भूरे सिंह निवासी ग्राम दभी थाना अकराबाद जिला अलीगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सुमित रावत पुत्र महावीर सिंह रावत निवासी नियर दुर्गापुर शिवराजपुर नियर झण्डापुर कोटद्वार उत्तराखण्ड (फरार)।
2. राहुल (फरार)।
3. निर्दोष (फरार)।
4. अफजल (फरार)।

बरामदगी का विवरण:-

- आपत्तिजनक सामग्री एवं अवैध मादक पदार्थ (01 पुड़िया अवैध गांजा की, 01 पुड़िया अवैध चरस की) बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर अनैतिक देह व्यापार कराने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना भोजपुर पर फर्जी तरीके से फर्जी पतों पर पासपोर्ट बनाने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध चलाये जा रहे अभियान अन्तर्गत अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के नेतृत्व में तथा सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) के कुशल पर्यवेक्षण में स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना भोजपुर गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0स0-23/26 धारा-61(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) BNS व 66 IT ACT में वाँछित अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार सिंह को गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता अर्जित की गयी, अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही थाना भोजपुर से की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि वह पासपोर्ट कार्यालय भीकाजी कामा पैलेस दिल्ली मे वर्ष 2016 से एलडीसी के पद पर कार्यरत है वही पर उसकी मुलाकात उक्त अभियोग में पूर्व मे गिरफ्तार होकर जेल गये अभियुक्त विवेक गांधी पुत्र स्व0 उपेन्द्र नारायण शर्मा से हुई जिसने इसको फर्जी तरीके से फर्जी पतों पर पासपोर्ट बनवाकर लाभ कमाने के सम्बन्ध मे बताया था, जिसके बाद उसने अभियुक्त विवेक गाँधी व अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काफी लोगो के फर्जी तरीके से फर्जी पतों पर पासपोर्ट बनवा दिये थे जिसमे पुष्पेन्द्र को प्रत्येक फाईल पर रू0 1000/- अभियुक्त विवेक गाँधी द्वारा दिये जाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पुष्पेन्द्र कुमार सिंह पुत्र आजाद कुमार उम्र करीब 42 वर्ष निवासी 363/9 न्यू गोविंदपुरी कंकरखेडा थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर उक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद